केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
6वीं, 7वीं और 8वीं मंजिल, टॉवर–बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली–110029, फ़ोन: 23353503, फैक्स: 23753923, वेबसाइट: www.cercind.gov.in

के वि वि आयोग
CERC

सत्यमेव जयते

याचिका सं. 134/टीएल/2024 दिनांकः 13.06.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

केपीएस1 ट्रांसमिशन लिमिटेड, सी–105, आनंद निकेतन, नई दिल्ली – 110021 द्वारा विनियमित टैरिफ तंत्र (आरटीएम) रूट के अधीन खावड़ा पीएस1 (केपीएस1) पर 3 जीडब्ल्यू आरई विद्युत से आगे अंतःक्षेपण के लिए पारेषण योजना के कार्यान्वयन के लिए पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14, 15, 79(1)(ङ) के अधीन आवेदन किया गया है। जिस परियोजना के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति मांगी गई है, उसका कार्य–क्षेत्र निम्नानुसार हैः

क्रम सं.	योजना का नाम और कार्यान्वयन की समय–सीमा	अनुमानित लागत (₹ करोड़)	टिप्पणी
1	सर्जन रिएलिटीज प्रा. लि. की आरई परियोजना के अंतरसंयोजन के लिए खावड़ा–I पीएस (केपीएस1) (जीआईएस) पर 400 केवी लाइन बे का कार्यान्वयन (1150 मेगावाट) 400 केवी जीआईएस लाइन बे – द्वितीय 400 केवी बस सेक्शन पर डायमीटर पूरा करने के लिए 1 नंबर + 1 नंबर अतिरिक्त बे (नोट क का संदर्भ लें) कार्यान्वयन समय–सीमाः 28.2.2026 (नोट ख का संदर्भ लें)	31.8	केपीएस1 ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा आरटीएम के अधीन कार्यान्वित किए जाने हेतु अनुमोदित

नोटः

क. जीआईएस सब–स्टेशन को ध्यान में रखते हुए, तीन सर्किट ब्रेकर्स (एक और आधा स्विचिंग योजना) के साथ एक पूरा 400केवी डायमीटर, एक 400केवी बे में आरई परियोजना के अंतरसंयोजन के लिए 400केवी स्तर पर कार्यान्वित किया जाएगा। डायमीटर के अन्य 400केवी बे का उपयोग भविष्य में ज्ञात किया जाएगा।

ख. कार्यान्वयन एजेंसी, खावड़ा फेस–IV पारेषण प्रणाली की आरंभ अनुसूची के साथ सबजेक्ट पारेषण योजना की समय–सीमा जो कि 28.02.2026 तक (अर्थात् एसपीवी ट्रांसफर की तारीख से 24 मास जो कि वर्तमान में फरवरी' 24 तक प्रत्याशित है) अनुमानित है।

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 9.4.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली को स्थापित करने के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 134/टीएल/2024 में दिनांक 12.6.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
4. केपीएस1 ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंधों एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट **www.adanienergysolutions.com** पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का पालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **25.6.2024** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. आयोग द्वारा दिनांक **27.6.2024** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह पुथी)
सचिव